

Order sheet [Contd]

case No.B.A.-380/17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>08-11-17 04:30 P.M.. to 04:45 P.M.</p>	<p>आवेदकगण/अभियुक्तगण हेम सिंह एवं प्रदीप सिंह, द्वारा श्री केशव सिंह गुर्जर उपस्थित। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित। थाना मौ के अपराध क्रमांक 261/17 अंतर्गत धारा 323, 294, 452, 506 एवं 34 भा0दं0सं0 की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त। आवेदकगण के आवेदन के समर्थन में हेम सिंह के भाई तथा प्रदीप सिंह के पिता केशव सिंह की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि आवेदकगण का यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है। आवेदकगण हेम सिंह एवं प्रदीप सिंह के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये। आवेदकगण की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि फरियादी ने उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण कायम करा दिया है आवेदकगण का किसी मामले या घटना से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदकगण के द्वारा फरियादी के घर के अंदर घुसकर कोई झगड़ा नहीं किया गया है न गाली गलोज की गई है और न ही जान से मारने की धमकी दी गई है। आवेदकगण दिनांक 30.10.17 से न्यायिक निरोध में हैं। यदि आवेदकगण को जमानत का लाभ नहीं दिया गया तो उनका कृषि कार्य पिछड़ जायेगा और परिवारजनों के समक्ष भरण पोषण की समस्या पैदा हो जायेगी। वास्तविकता यह है कि फरियादी ग्राम गुहीसर में दौज का टीका करने आया था और वह शराब पिये था तो उसी दौरान फरियादी की मोटरसाईकिल का प्लग किसी ने खींच लिया था। आवेदकगण अपने खेतों पर जा रहे थे, उसी समय फरियादी द्वारा गाली गलोज की गयी जिसे आवेदकगण ने मना किया और वह फिर भी नहीं माना तो झूठा मामला कायम करा दिया। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है। उभय पक्ष को सुने जाने तथा कैफियत एवं केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 21.10.17 को फरियादी प्रमोद गोस्वामी के जीजा राजवीर गोस्वामी के ग्राम गुहीसर में घर के अंदर अभियुक्तगण हेम सिंह, प्रदीप सिंह, मनीष परिहार, नीतू परिहार ने फरियादीगण प्रमोद गोस्वामी एवं राजवीर</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>गोस्वामी की मारपीट की, तथा मां बहिन की अश्लील गालियां दी एवं जान से मारने की धमकी दी। मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार प्रमोद गोस्वामी के सिर में, कंधे में, कूल्हे में चोट आई है। राजवीर गोस्वामी के क्लेविकल भाग पर चोट आई है। केवल धारा 452 भा0द0सं0 का अपराध अजमानतीय प्रकृति का है और शेष अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं। अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा विचारणीय है आवेदकगण लगभग 10 दिवस से निरोध में हैं। केस डायरी में उनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड संलग्न नहीं किया गया है। कैफियत में तथा अभियोजन की ओर से भी ऐसा नहीं बताया गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। मामले की इन संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, अपराध की प्रकृति और उसका स्वरूप, आवेदकगण की निरोध की अवधि आदि देखते हुए आवेदकगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया गया।</p> <p>अदेशित किया जाता है कि यदि आवेदकगण हेम सिंह एवं प्रदीप की ओर से 20,000-20,000/-रुपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जावे तो उन्हें निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदकगण विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होते रहेंगे। 2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देंगे। 3. फरार नहीं होंगे। 4. विचारण में सहयोग करेंगे। 5. विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं करेंगे। <p>यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।</p> <p>केसडायरी वापस हो। आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे। प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)